न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट,संत कबीर नगर।

(J.O.Code-UP 6390)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–0816/2026

UPSK010021502026

1. दुर्गेश उर्फ अमित पुत्र जोखू प्रसाद,साकिन जसोवर, थाना–महुली, जनपद–सन्त कबीर नगर। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–0264/2026
धारा–64(1) BNS व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
थाना–धनघटा, जिला–सन्तकबीर नगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र:

आवेदक/अभियुक्त **दुर्गेश उर्फ अमित** की ओर से मु0अ0संख्या–0264/2026, अन्तर्गत धारा–64(1) BNS व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना–धनघटा, जिला–सन्त कबीर नगर में जमानत हेतु प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथकर्ता गनेश द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा गुड्डी देवी द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना–धनघटा, जनपद–सन्त कबीर नगर को इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि–'' मेरी पुत्री पुनीता जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष है, की दिनांक 18.04.2026 को अपने रिस्तेदारी खलीलाबाद के औद्योगिक क्षेत्र सोनी होटल के बगल में लड़की की शादी थी, जहॉ पर लेकर गयी थी, वहीं पर रिस्तेदारी में एक लड़का जिसका नाम दुर्गेश उर्फ अमित पुत्र जोखू, जो कि ग्राम जशवल थाना महुली क्षेत्र का रहने वाला है, भी आया था और मेरी लड़की को अपना मोबाइल नम्बर दे दिया था और बातचीत करता था। दिनांक–07.05.2026 को मेरे बगल के मेरे पड़ोसी की बारात जा रही थी, घर पर कोई नहीं था। दुर्गेश मेरे गॉव में आकर मेरे लड़की पर फोन करके बुला लिया और देई माई के स्थान के बगल में ले जाकर समय रात 9:30 बजे जबरदस्ती बलात्कार कर रहा था। जब मेरी लड़की चिल्लाई तो हम लोग दौड़कर अपने लड़की के पास पहुॅचे तो मेरी लड़की ने रो–रोकर बात बताने लगी। मेरे लड़की के शरीर से खून निकल रहा था। उसका पूरा कपड़ा खराब हो गया था। दुर्गेश मौके से कहीं भाग गया था। निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। '' वादिनी मुकदमा के उक्त तहरीर के आधार पर थाना–धनघटा में अभियुक्त दुर्गेश उर्फ अमित के विरूद्ध अपराध सं0–264/2026, धारा–64(1) BNS व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त दुर्गेश उर्फ अमित के विरूद्ध धारा–64(1) BNS व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पाया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी बिलकुल निर्दोष व बेकसूर है, कोई अपराध नहीं किया है, महज रंजिशन

फर्जी मुकदमें में फंसा दिया गया है। पीड़िता पढ़ी लिखी नहीं है। आयु परिवार रजिस्टर एवं आधार कार्ड तथा मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से ऊपर है, जो पूर्णतः बालिग है। पीड़िता के घर की दूरी मुल्जिम के घर से करीब 28 किमी0 है तथा कथित धटना 09:30 बजे रात को बतायी जा रही है। एक साजिश के तहत प्रार्थी को मुल्जिम बना दिया गया है। पीड़िता ने धारा–180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में स्वयं यह बताया है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूॅ, मैं अपनी आयु नहीं बता सकती हूॅ। पीड़िता के धारा–180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में काफी विरोधाभास है। इससे यह साबित होता है कि घटना झूठी है और सोच–समझकर प्रार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रार्थी ने पीड़िता के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया है और न ही कोई शारीरिक संबंध बनाया हे। प्रार्थी द्वारा एक माह पहले 35 हजार रूपए उधार दिया था, पैसा ना देना पड़े, इसलिए साजिशन प्रार्थी को मुल्जिम बना दिया गया है। प्रार्थी के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैऔर जमानती दुरूपयोग की संभावना नहीं है। उक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

वादिनी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध की है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की नाबालिग लड़की/पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाय।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। पीड़िता ने धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के बयान में कथन किया है कि–**" मेरी उम्र लगभग 17 वर्ष है।–आज दिनांक 07.05.2026 को मेरी पट्टीदारी में शादी थी। शाम को उसने/दुर्गेश उर्फ अमित मुझसे फोन करके पूछा कहॉ हो, तब मैनें उसे पट्टीदारी में शादी होने की बात बता दी। जब उसने मिलने के लिए कहा तो मैनें हॉ कर दिया। शादी से लौटते समय मैं उससे मिलने देवी माई के स्थान पर गयी, जहॉ पर उसने जबरदस्ती मेरा बलात्कार किया। कुछ देर बाद मेरे चाचा का लड़का मुझे खोजते हुए देवी माई के स्थान पर पहुॅचा, तब दुर्गेश मुझे छोड़कर भाग गया।"** धारा–183 बी0एन0एस0एस0 के बयान में पीड़िता ने कथन किया है कि–**" मैं घर पर अकेले थी। सब लोग शादी में गये हुए थे। तभी मुकेश उर्फ दुर्गेश अपनी दुपहिया से मेरे घर पर आया और मुझे जबरदस्ती दुपहिया पर बिठाकर थोड़ी दूरी पर खड़जा पर ले जाकर मेरे कपड़े फाड़ दिया और मेरे साथ जबरदस्ती किया। "** चूॅकि पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी, इसलिए नाबालिग की मर्जी/सहमति का कोई विधिक महत्व नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का घृणित व सामाजिक अपराध है। मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **दुर्गेश उर्फ अमित** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र **निरस्त** किया जाता है। आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय।

दिनॉक–29.06.2026

(कृष्ण कुमार–v)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट),
संत कबीर नगर।

Digitally signed by KRISHNA KUMAR
Date: 2026.06.29 16:54:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court